न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्य प्रदेश

R-696-III/2011

प्रकरण क्र0/ /011

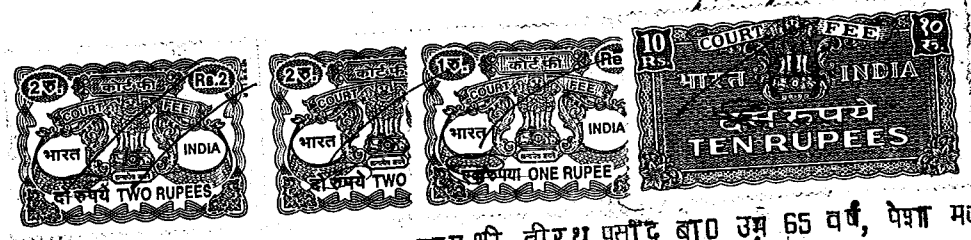

विश्वनाथ प्रसाद तनय श्री तीरथ प्रसाद ब्रा0 उम्र 65 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी पड़रा रीवा तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 --निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती शिवमती तनय पत्नी श्री चन्द्र शेखर प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम खंडा तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 हाल पता पड़रा रीवा, म0प्र0

--गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्र0क्र0 309/अपील/03-04 आदेश दि0 10-6-08

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यहकि अधी0 न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2. यहकि आराजी नं0 244 रकबा 0.20 डि0 भूमि शासन म0प्र0 के नाम से दर्ज थी, जिसमे निगरानीकर्ता का मकान बना था तथा उसी भूमि मे 1/2 हिस्से वंशगोपाल, हरिवंश का मकान बना है तथा वंशगोपाल मौके से काबिज दखील है, उक्त भूमि के सम्बन्ध मे निगरानीकर्ता एवं वंशगोपाल द्वारा व्यवहार न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि का स्वामी घोषित किया गया उक्त डिक्री के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरण निगरानीकर्ता एवं वंशगोपाल, हरिवंश के नाम संयुक्त रूप से नामान्तरण सन् 1995-96 मे किया गया तथा उक्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। तथा उक्त भूमि मे वंशगोपाल मौके पर संयुक्त रूप से काबिज है। किन्तु गैर निगरानीकर्ता द्वारा वंशगोपाल मौके पर संयुक्त

क्रमशः/2

विश्वनाथ प्रसाद / शिवपती (11)
R. 696 - तीन।। सीपा

(22)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि[redacted] आदि के हस्ताक्षर
	पुनश्च ·	
	- आवेदक विश्वनाथ प्रसाद स्वतः तथा उनके अधिवक्ता श्री अशोक शुक्ला एड उप.।	
	- अनावेदक शिवपती स्वतः उपस्थित।	विश्व/प
	- उभय पक्ष द्वारा मौखिक बताया गया कि अब आगे इस प्रकरण को नहीं चलाना चाहते है. अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।	
(52)	- वास्ते विचारार्थ। पेशी तारीख 13.8.15	नि. 13-8-15
	आज्ञा से	
13-8-15	- आवेदक की ओर से कोई उप० नहीं। प्रकरण नहीं चलाना चाहते।	
	- मान० सदस्य महो० का आज रीवा आगमन नहीं हो सका।	
(74)	- वास्ते विचारार्थ। C.F. 19.8.15 आज्ञा से, रीडर	
19/8/15	आवेदक विश्वनाथ प्रसाद तथा उनके अधिवक्ता श्री अशोक शुक्ला दिनांक 13/8/15 को उपस्थित हुये तथा मौखिक बताया कि व प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। अतः प्रकरण आवेदक नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	